बजट
2012-2013
की
मुख्य विशेषताएं

बजट 2012-2013 की मुख्य विशेषताएं

बजट का दृष्टिकोण

- भारतीय अर्थव्यवस्था में, यह वर्ष यूरो जोन में ऋण संकट के गहराने, मध्यपूर्व में राजनीतिक उठापटक, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि तथा जापान में भूकम्प के कारण आर्थिक सुधार में व्यवधान का वर्ष था।
- स.घ.उ. में पूर्ववर्ती दो वर्षों में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद, 2011-12 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
- तथापि, भारत किन्हीं भी अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास में अग्रणी बना हुआ है।
- विगत 2 वर्षों में अधिकांशतया मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत उपायों का उद्देश्य घरेलू मुद्रास्फीतिकारी दबाव पर काबू पाना रहा।
- सख्त मौद्रिक नीति और बढ़े हुए परिव्ययों के कारण विकास धीमा हुआ और राजकोषीय शेष की स्थिति खराब हुई।
- संकेतक दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है क्योंकि कोर सेक्टरों और विनिर्माण में पुनरुत्थान लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
- इस समय, वृहत आर्थिक माहौल में सुधार लाने और घरेलू वृद्धि के कारकों को सुदृढ़ करने हेतु कठोर निर्णय लेना आवश्यक है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना "तीव्रतर, सतत और अधिक समावेशी विकास" के लक्ष्य के साथ आरंभ की जानी है। आगामी राजकोषीय वर्ष में कारगर ढंग से ध्यान दिए जाने के लिए पांच उद्देश्य चिन्हित।
- यदि भारत अपनी आर्थिक ताकत को सुदृढ़ करे, तो यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता का स्रोत और डांवाडोल वैश्विक पूंजी के लिए सुरक्षित गंतव्य हो सकता है।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

- 2011-12 में वास्तविक अर्थों में स.घ.उ. वृद्धि 6.9 प्रतिशत होने का अनुमान। पिछले दो वर्षों की तुलना में धीमा विकास मुख्यतया औद्योगिक वृद्धि में गिरावट के कारण था।
- समग्र मुद्रास्फीति में अगले कुछ महीनों में कमी आने और उसके पश्चात स्थिर होने की आशा है।
- वितरण, भंडारण और विपणन प्रणालियों में अंतर पाटने के लिए उठाए गए कदमों ने मुद्रास्फीति के अधिक कारगर प्रबंधन में सहायता की है।
- मौजूदा वर्ष के पूवार्ध में भारत के वैदेशिक व्यापार का घटनाक्रम उत्साहवर्धक रहा है। निर्यात और आयात बाजार में विविधीकरण लाया गया।
- 2011-12 में चालू खाता घाटा स.घ.उ. का 3.6 प्रतिशत और दूसरी और तीसरी तिमाहियों में घटे हुए निवल पूंजी अंतर्वाह ने विनिमय दर पर प्रभाव डाला।
- 2012-13 में भारत की स.घ.उ. वृद्धि 7.6 प्रतिशत+/-0.25 प्रतिशत होने की आशा।

- प्रत्यक्ष कर राजस्व में कमी तथा बढ़ी हुई सब्सिडियों के कारण 2011-12 में राजकोषीय शेष की खराब स्थिति।

एफआरबीएम अधिनियम

- वित्त विधेयक 2012 के भाग के रूप में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पेश।
- व्यय सुधारों की दिशा में "प्रभावी राजस्व घाटा" और "मध्यावधि व्यय रूपरेखा" एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

- प्रभावी राजस्व घाटा और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों का अन्तर होता है। इससे राजस्व घाटे के उपभोग संबंधी घटक को कम करने और बढ़े हुए पूंजी व्यय के लिए गुंजाइश पैदा करने में सहायता मिलेगी।
- "मध्यावधि व्यय रूपरेखा" विवरण व्यय संकेतकों के लिए एक तीन वर्षीय चल लक्ष्य निर्धारित करेगा।
- केन्द्रीय प्रायोजित योजना को सुचारू व कारगर बनाने और उनकी संख्या कम करने हेतु विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशें तथा आयोजना और आयोजना-भिन्न वर्गीकरण का समाधान जिसे बारहवीं योजना को कार्यान्वित करते समय ध्यान में रखा जाएगा।
- निधियों की बेहतर ट्रैकिंग और उपयोग के लिए केन्द्रीय आयोजना स्कीम मानीटरिंग प्रणाली का विस्तार किया जाना है।

सब्सिडी

- कुछ सब्सिडियां, यद्यपि अपरिहार्य हैं, तो भी यदि वे अर्थव्यवस्था के वृहत आर्थिक आधारभूत तत्वों पर प्रतिकूल असर डालें, तो अवांछनीय हो सकती हैं।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रशासित करने से संबंधित सब्सिडियों के लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा।
- 2012-13 में केन्द्रीय सब्सिडियों को स.घ.उ. के 2 प्रतिशत के नीचे रखने का प्रयास। अगले 3 वर्षों के दौरान इन्हें स.घ.उ. के 1.75 प्रतिशत तक नीचे लाया जाना है।
- श्री नन्दन नीलकेणी की अध्यक्षता में कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर, उर्वरकों और सब्सिडियों की आवाजाही तथा सब्सिडियों पर बराबर नजर रखने हेतु एक मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है। 2012 के दौरान राष्ट्र-व्यापी शुरूआत।
- सभी तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने ग्राहक सेवा में सुधार लाने और लीकेज घटाने हेतु एलपीजी पारदर्शिता पोर्टल शुरू किए हैं।
- अगले 6 माह के भीतर कम से कम 50 जिलों में विभिन्न सरकारी स्कीमों के लिए आधार समर्थित भुगतानों में तेजी लाई जाए।

कर सुधार

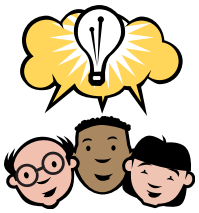

- संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की शीघ्र जांच के बाद प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक शीघ्राताशीघ्र अधिनियमित किया जाएगा।
- केन्द्र तथा राज्य के वस्तु एवं सेवा कर हेतु मॉडल विधान का मसौदा तैयार करने का कार्य राज्यों के साथ परामर्श से प्रगति पर।
- राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाने वाला जीएसटी नेटवर्क अगस्त 2012 तक काम करना शुरू कर देगा।

विनिवेश नीति

- सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निर्निहितीकरण हेतु पुनर्खरीद और स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण जैसी पद्धतियों के संबंध में निजी क्षेत्र की तुलना में एक उपयुक्त अवसर प्रदान कर अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया है।

- 2012-13 के लिए ₹ 30,000 करोड़ की राशि विनिवेश के जरिए जुटाई जाएगी। सरकार के पास कम से कम 51 प्रतिशत का स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण रहेगा।

निवेश वातावरण का सुदृढ़ीकरण

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- 51 प्रतिशत तक के बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार की अनुमति देने के निर्णय के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर व्यापक मतैक्य लाने का प्रयास।

अग्रिम मूल्य निर्धारण करार

- अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के कार्यान्वयन संबंधी उपबंध वित्त विधेयक, 2012 में प्रस्तुत किए जाएंगे।

वित्तीय क्षेत्र

- इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से ₹ 50,000 तक निवेश करने वाले नए खुदरा निवेशक, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से कम है, के लिए 50 प्रतिशत की आयकर कटौती हेतु राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना शुरू की जाएगी। इस योजना की समयबंदी 3 वर्ष की होगी।

पूंजी बाजार

- पूंजी बाजारों में आईपीओ की सरलीकरण प्रक्रिया सहित भारतीय बांड बाजार आदि तक पहुँच हेतु क्यूएफआई की अनुमति प्रदान कर सुधारों में तेजी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है।

विधायी सुधार

- इस सत्र में "पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011", "बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011" और "बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008" में आधिकारिक संशोधन लाया जाएगा।

- संसद के बजट सत्र में वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है।

बैंकों और वित्तीय स्वामित्व वाली कंपनी का पूंजीकरण

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय दशा की सुरक्षा हेतु पूंजीकरण के लिए ₹15,888 करोड़ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन जुटाने हेतु वित्तीय स्वामित्व वाली कंपनी के गठन की संभावना की जाँच की जा रही है।

- पंजीकरण और आंकड़ों की बहुलता से बचने के लिए 2012-13 में एक केन्द्रीय डिपोजिट्री "अपने ग्राहक को जानो" विकसित की जाएगी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण संबंधित संशोधित दिशानिर्देश पण्यधारक परामर्श के पश्चात् जारी किए जाएंगे।

वित्तीय समावेशन

- मार्च, 2012 तक "स्वाभिमान" अभियान के तहत शामिल की जाने वाली 73,000 चिन्हित बस्तियों में से लगभग 70,000 को कवर किया जा चुका है। 31 मार्च, 2012 तक शेष को कवर किए जाने की संभावना है।

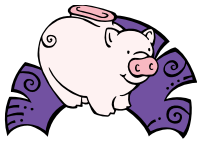

- अगले कदम के रूप में इन बस्तियों में बहुत छोटी-छोटी शाखाएं स्थापित की जा रही हैं।
- 2012-13 में "स्वाभिमान" अभियान का विस्तार और अधिक बस्तियों में किया जाएगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

- भारत के 82 आरआरबीज़ में से 81 ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को सफलतापूर्वक अपना लिया है और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर सिस्टम भी शुरु कर दिया है।
- कमजोर आरआरबी के पूंजीकरण की योजना को अन्य 2 वर्ष के विस्तार का प्रस्ताव है, जिससे कि राज्य अपने-अपने हिस्सों का अंशदान कर सकें।

अवसंरचना और औद्योगिक विकास

- बारहवीं योजनावधि में अवसंरचना में 50 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश की आधी राशि निजी क्षेत्र से प्राप्त होने की आशा है।
- "अवसंरचना में पीपीपी को सहायता" योजना के तहत व्यवहार्यता अंतराल निधिपोषण हेतु पात्र क्षेत्रों के रूप में अधिक क्षेत्र शामिल किए गए हैं।
- सरकार ने पीपीपी पद्धति में रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संयुक्त उपक्रम की कम्पनियां स्थापित करने हेतु दिशानिर्देश अनुमोदित किए हैं।
- ₹8,000 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ पहली अवसंरचना ऋण निधि की शुरुआत इस माह के आरंभ में की गई।
- 2012-13 में अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु ₹60,000 करोड़ के कर मुक्त बॉण्ड की अनुमति दी जाएगी।
- अवसंरचना क्षेत्र की सुमेलित मास्टर सूची को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।
- आईआईएफसीएल ने अवसंरचना परियोजनाओं को आसान ऋण मुहैया कराने हेतु ऋण संवर्धन और टेक-आउट वित्त का ढांचा तैयार किया है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

- अगले दशक में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत और 10 करोड़ नौकरियों के सृजन के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की गई है।

विद्युत और कोयला

- कोल इंडिया लिमिटेड को डिस्कॉम के साथ दीर्घावधिक पीपीए वाले विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर करने की सलाह दी गई है और इस संबंध में 31 मार्च, 2015 को अथवा इसके पहले अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा।

- मौजूदा विद्युत परियोजना के रुपया ऋण वित्तपोषण के भाग के रूप में विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की अनुमति प्रदान की जाएगी।

परिवहन : सड़क और नागर विमानन

- अगले वर्ष एनएचडीपी के तहत 8,800 किलोमीटर की लम्बाई को कवर करने का लक्ष्य।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का आवंटन 14 प्रतिशत तक बढ़ाकर ₹25,360 करोड़ करना।
- सड़कों तथा राजमार्गों की चुंगी प्रणालियों यदि ये मूल परियोजना का हिस्सा हैं, के रख-रखाव तथा प्रचालन के लिए पूंजी व्यय हेतु ईसीबी की अनुमति प्रस्तावित।
- इंडियन कैरियर्स हेतु वास्तविक प्रयोक्ताओं के रूप में विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रत्यक्ष आयात की अनुमति।
- एअरलाइन उद्योग की कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए एक वर्ष की समयवधि हेतु 1 बिलियन अमरीकी डालर की उच्चतम सीमा के अधीन ईसीवी की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- किसी एयर परिवहन उपक्रम की इक्विटी में सरकार के सक्रिय विचारान्तर्गत विदेशी एअरलाइन्स को 49 प्रतिशत तक की भागीदारी की अनुमति का प्रस्ताव।

दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा

- सितम्बर 2011 में 5 वर्षों की विस्तारित समयवधि में ₹18,500 करोड़ की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित परियोजना में जापानी भागीदारी के लिए अंशदान रूप में 4.5 बिलियन अमरीकी डालर।

आवास क्षेत्र

- मुख्य शहरों में कम आय वर्गों के लिए आवास के अभाव के समाधान हेतु विभिन्न प्रस्ताव जिसमें कम लागत की आवास परियोजनाओं हेतु ईसीवी की अनुमति तथा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्थापना आदि।

उर्वरक

- सरकार ने भारत की यूरिया में आयात निर्भरता घटाने के लिए मूल्य निर्धारण तथा निवेश नीतियों को अन्तिम रूप देने के लिए कदम उठाए हैं।

कपड़ा

- सरकार ने हथकरघा बुनकरों के ऋणों की माफी तथा उनकी सहकारी सोसाइटियों हेतु ₹3,884 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है।
- आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम तथा गुन्टूर जिलों तथा झारखण्ड में गौडडा तथा पड़ोसी जिलों हेतु दो और मेगा हथकरघा क्लस्टर की स्थापना की जाएगी।
- मिजोरम नागालैंड तथा झारखण्ड प्रत्येक में गरीब हथकरघा बुनकरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिओ-टेक्सटाइल्स के प्रोत्साहन तथा अनुप्रयोग हेतु ₹500 करोड़ की प्रायोगिक योजना की घोषणा की गयी है।
- महाराष्ट्र में ₹70 करोड़ के बजट आवंटन के साथ इचाल-करणजी में विद्युत करघा मेगा क्लस्टर की स्थापना की जाएगी।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम

- सिडबी के साथ ₹5,000 करोड़ की भारतीय अवसर उपक्रम निधि की स्थापना की जाएगी।
- लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई) द्वारा वित्त घोषणा हेतु और अधिक पहुंच को सक्षम बनाने हेतु मुम्बई में हाल में दो एसएमई एक्सचेंज की स्थापना की गयी है।
- नीति अपेक्षित मंत्रालयों तथा सीपीएसई अपनी वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग स्वीकृत एमएसई से करेंगे। इसमें से, 4 प्रतिशत भाग की खरीद एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्वाधीन एमएसई से निर्धारित की जाएगी।

कृषि

- कृषि तथा सहकारिता विभाग के लिए आयोजना परिव्यय में 18 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गयी है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के लिए परिव्यय को 17 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 2012-13 में ₹9,217 करोड़ कर दिया गया है।
- पूर्वोत्तर भारत हेतु हरितक्रान्ति लाने की पहल करने के परिणामस्वरुप धान के उत्पादन तथा उत्पाकता में बढ़ोत्तरी हुई है। इस योजना हेतु आवंटन में 2011-12 में ₹400 करोड़ से बढ़ोत्तरी कर 2012-13 में ₹1,000 करोड़ कर दिया गया है।
- आरकेवीआई के अन्तर्गत विदर्भ सघन सिंचाई का कार्यक्रम के लिए ₹300 करोड़।
- शेष गतिविधियों को 12वीं योजना में निम्नलिखित मिशनों में मिला दिया जाएगाः
  - ❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
  - ❖ राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
  - ❖ राष्ट्रीय तिलहन तथा पॉम ऑयल मिशन
  - ❖ राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन
  - ❖ राष्ट्रीय बागवानी मिशन

राष्ट्रीय प्रोटीन पूरक आहार-मिशन

- डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार हेतु विश्व बैंक की सहायता से ₹2,242 करोड़ की परियोजना प्रारंम्भ की गयी है। समुद्रतटीय एक्वाकल्चर में मछली के उत्पादन की व्यापक गुजाइश हेतु ₹500 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।

कृषि ऋण

- कृषि ऋण लक्ष्य को ₹1,00,000 करोड़ से बढ़ाकर 2012-13 में ₹5,75,000 करोड़ कर दिया गया है।
- किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पवधि फसल ऋणों के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना को 2012-13 में भी जारी रखा जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए 3 प्रतिशत की अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी।
- आरआरवी की क्षमता को बढ़ाने हेतु लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए अल्पावधि फसल ऋण के संवितरण हेतु अल्पवधि आरआरवी ऋण पुनर्वित निधि की स्थापना की जा रही है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि इसे स्मार्ट कार्ड बनाया जाए और एटीएम में इसका उपयोग हो सके।

कृषि अनुसंधान

- पुरस्कारों सहित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए ₹200 करोड़ की राशि अलग से रखी गई है।

सिंचाई

- सिंचाई परियोजनाओं में निवेश से लाभों के प्रवाह को अधिकतम करने के लिए त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) में ढांचागत परिवर्तन।
- वर्ष 2012-13 में एआईबीपी के लिए आवंटन 13 प्रतिशत बढ़ाकर ₹14,242 करोड़ किया गया।
- सिचांई परियोजनाओं के निधिपोषण हेतु बड़े संसाधन जुटाने के लिए सिंचाई और जल संसाधन वित्त कंपनी प्रचालन में लाई जा रही है।
- मुर्शिदाबाद जिले के कंडी उप-मंडल के लिए ₹439 करोड़ की लागत से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा अनुमोदित बाढ़ प्रबंधन परियोजना।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

- राज्य सरकारों के सहयोग से "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" नामक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 2012-13 में शुरु की जानी है।
- देश में अतिरिक्त खाद्यान भंडारण क्षमता के सृजन के लिए उपाय किए गए।

समावेशन

अनूसूचित जाति और जनजाति उप-आयोजनाएं

- वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में अनूसूचित जाति उप-आयोजना हेतु ₹37,113 करोड़ का आवंटन 2011-12 ब.अ. की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में जनजातीय उप-आयोजना हेतु ₹21,710 करोड़ का आवंटन 17.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

खाद्य सुरक्षा

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है।
- पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय सूचना सुविधा सृजित की जा रही है। यह दिसंबर 2012 तक शुरु हो जाएगी।

बहु-क्षेत्र पोषण संवर्धन कार्यक्रम

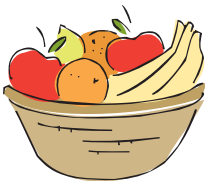

- वर्ष 2012-13 के दौरान 200 उच्च भार वाले चुनिंदा जिलों में जिला-जच्चा कुपोषण के समाधान ह हेतु बहु-क्षेत्र कार्यक्रम।
- एकीकृत बाल विकास योजना के लिए ₹15,850 करोड़ का आवंटन करना जो ब.अ. 2011-12 की तुलना में 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु ₹11,937 करोड़ आवंटित।
- किशोरियों के लिए राजीव गांधी अधिकारिता योजना (सबला) के लिए ₹750 करोड़ का आवंटन।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

- ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता हेतु बजटीय आवंटन ₹11,000 करोड़ से ₹14,000 करोड़ किया गया जो 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

- सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए पीएमजीएसवाई के लिए आवंटन 20 प्रतिशत बढ़ाकर ₹24,000 करोड़ किया गया।
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के जरिए पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी पहल किया जाना प्रस्तावित है।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 2012-13 में ₹12,040 करोड़ के वर्धित आवंटन से बारहवीं योजना में चलती रहेगी।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)

- आरआईडीएफ के अंतर्गत आवंटन बढ़ाकर ₹20,000 करोड़ किया गया। भांडागारण सुविधाओं के सृजन हेतु ₹5000 करोड़ अलग से रखे गए हैं।

शिक्षा

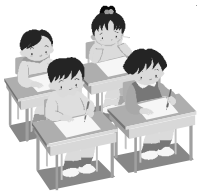

- शिक्षा का अधिकार - सर्व शिक्षा अभियान हेतु 2012-13 के बजट अनुमान में ₹25,555 करोड़ उपलब्ध कराए गए है जो 2011-12 की तुलना में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- बारहवीं योजना में माडल स्कूलों के रूप में ब्लाक स्तर पर 6,000 स्कूलों की स्थापना प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु ₹3,124 करोड़ उपलब्ध कराए गए जो 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- छात्रों के लिए बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक ऋण गारंटी निधि स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य

- पिछले एक वर्ष में पोलियो के एक भी नए मामले की सूचना नहीं है।
- मौजूदा टीका इकाइयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और चेन्नई के पास एक नई एकीकृत टीका इकाई लगाई जाएगी।
- 6 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता - 'आशा' के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। इससे उनका पारिश्रमिक भी बढ़ जाएगा।
- एनआरएचएम के लिए आवंटन 2011-12 ₹18,115 करोड़ से बढ़ाकर 2012-13 में ₹20,822 करोड़ किया जाना प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरु किया जा रहा है।
- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का 7 और सरकारी मेडिकल कालेजों के उन्नयन कवर करने के लिए विस्तार किया जा रहा।

रोजगार और कौशल विकास

- मनरेगा का आजीविका सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- मनरेगा और कृषि व संबद्ध ग्रामीण आजीविकाओं के बीच बेहतर सहयोग करने की जरूरत।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवीका मिशन हेतु ₹3915 करोड़ का आवंटन 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

- बैंक ऋण को आसान बनाना, 'महिलाओं की एसएचजी की विकास निधि' हेतु आधारभूत निधि को बढ़ाना।
- आजीविका योजना के जरिए भारत का भारत लिवलीहुड फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव।
- प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम का आवंटन में 2012-13 में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके ₹1,276 करोड़ करना।

कौशल विकास

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं से 10 वर्षों के अंत में 6.2 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त होने की आशा है।
- 2012-13 में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि हेतु ₹1,000 करोड़ का आवंटन किया गया।
- कौशल विकास हेतु संस्थागत ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए एक पृथक ऋण गारंटी निधि की स्थापना।
- जम्मू और कश्मीर में ''हिमायत'' योजना शुरु की गई ताकि अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। इसकी पूरी लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्गों की जरूरतें

- 2012-13 में एनएसएपी के तहत आवंटन में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके ₹8,447 करोड़ किया गया
- बीपीएल लाभार्थियों हेतु चल रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन स्कीम में पेंशन राशि ₹200 से बढ़ाकर ₹300 प्रति माह करना।
- बीपीएल परिवार के 18-64 वर्ष आयु वर्ग के प्रमुख सदस्य की मृत्यु पर दिया जाने वाला एक मुश्त अनुदान दुगुना करके ₹20,000 किया गया।
- **स्वावलंबन** स्कीम के तहत पहुंच बढ़ाने के लिए एलआईसी को संग्रहकर्ता और सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को पॉइंट ऑफ प्रजेन्स (पीओपी) और संग्रहकर्ता के रूप में नियुक्त करना।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों को विशेष अनुदान मुहैया कराया गया।

रक्षा व्यय

- रक्षा सेवाओं के लिए ₹1,93,407 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमें पूंजी व्यय हेतु ₹79,579 करोड़ शामिल हैं। भविष्य की कोई भी जरूरत पूरी की जाएगी।

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए लगभग, 4,000 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु ₹1,185 करोड़ आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ₹ 3,280 करोड़ आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी सृजित करने की योजना 2 वर्ष के भीतर पूरी हो जाने की संभावना है।

अभिशासन

यूआईडी-आधार

- यूआईडी मिशन के तहत 20 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन किया गया। अन्य 40 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित की जाएंगी।

काला धन

- संसद के वर्तमान सत्र में काले धन पर श्वेत पत्र लाने का प्रस्ताव।

सरकारी अधिप्राप्ति कानून

- सरकारी अधिप्राप्ति कानून के संबंध में विधेयक संसद के बजट सत्र में लाया जाएगा।
- भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए विधायी उपाय अधिनियमन के विभिन्न चरणों में हैं।

बजट अनुमान 2012-13

- सकल कर प्राप्तियां ₹ 10,77,612 करोड़ होने का अनुमान।
- केन्द्र को निवल कर ₹ 7,71,071 करोड़ होने का अनुमान।
- कर-भिन्न प्राप्तियां ₹ 1,64,614 करोड़ होने का अनुमान।
- ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां ₹ 41,650 करोड़ होने का अनुमान।
- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में पूंजी व्यय के लिए विनिवेश प्राप्तियां इस्तेमाल करने की अस्थायी व्यवस्था एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई।
- 2012-13 के कुल व्यय हेतु ₹ 14,90,925 करोड़ की बजटीय व्यवस्था।
- 2012-13 का आयोजना व्यय ₹ 5,21,025 करोड़ के स्तर पर ब.अ. 2011-12 से 18 प्रतिशत अधिक है। यह 12वीं योजना के दृष्टिकोण में अनुमानित 15 प्रतिशत से अधिक है।
- ग्यारहवीं योजना में कुल आयोजना परिव्यय का 99 प्रतिशत पूरा किया गया।
- आयोजना-भिन्न व्यय का अनुमान ₹ 9,69,900 करोड़ है।
- राज्यों को ₹ 3,65,216 करोड़ अंतरित किए जाने का अनुमान है जिसमें राज्यों और जिला स्तरीय कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को प्रत्यक्ष अन्तरण शामिल हैं।
- सब्सिडी की संपूर्ण राशि नकद में दी जाएगी न कि सब्सिडी के बदले बांड के रूप में।
- सं.अ. 2011-12 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 5.9 प्रतिशत रहेगा।
- ब.अ. 2012-13 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 5.1 प्रतिशत रहेगा।
- 2012-13 में घाटे के वित्तपोषण के लिए जरूरी निवल बाजार उधार ₹ 4.79 लाख करोड़ है।
- केन्द्र सरकार का ऋण 13वें वित्त आयोग के 50.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 2012-13 में स.घ.उ. का 45.5 प्रतिशत है।
- 2012-13 में प्रभावी राजस्व घाटा स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत रहेगा।

भाग ख - कर प्रस्ताव

प्रत्यक्ष कर

- 2012-13 के कर प्रस्तावों में डीटीसी और जीएसटी की ओर बढ़ने की दिशा में प्रगति हुई है।
- वैयक्तिक आयकर के लिए डीटीसी दरें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।
- सामान्य श्रेणी के वैयक्तिक आयकरदाताओं के लिए ₹ 2,000 की कर राहत देते हुए छूट सीमा ₹ 1,80,000 से बढ़ाकर ₹ 2,00,000 की गई है।
- 20 प्रतिशत कर स्लैब की ऊपरी सीमा ₹ 8 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख किए जाने का प्रस्ताव है।

- वैयक्तिक करदाताओं को बचत बैंक खाते से मिलने वाले ब्याज के लिए ₹ 10,000 तक की कटौती की अनुमति का प्रस्ताव है।
- निवारक चिकित्सा जांच के लिए ₹ 5,000 तक की कटौती का प्रस्ताव है।
- वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें कारोबार से कोई आय नहीं है, को अग्रिम कर भुगतान से छूट का प्रस्ताव।
- दबावग्रस्त अवसंरचना क्षेत्रों को कम लागत वाली निधियां मुहैया कराने के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए ब्याज भुगतान पर कर धारण दर को अगले तीन वर्षों के लिए 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।
- उद्यम पूंजी निधियों को सिर्फ 9 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही निवेश किए जाने पर प्रतिबन्ध को हटाए जाने का प्रस्ताव है।

- भारतीय कंपनी की विदेशी सहायक कंपनी से आने वाले लाभांशों को 31.03.2013 तक 15 प्रतिशत की कम दर पर प्रत्यावर्तित किए जाने की अनुमति का प्रस्ताव।
- कतिपय कारोबारों के लिए निवेश से जुड़ी पूंजी व्यय की कटौती को 150 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव।
- निवेश से जुड़ी कटौतियों के प्रयोजन से नए क्षेत्रों को जोड़े जाने का प्रस्ताव।
- इन हाउस सुविधा में शोध एवं विकास व्यय के लिए 200 प्रतिशत की भारित कटौती को 31 मार्च, 2012 के बाद के अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।
- कृषि विस्तार सेवाओं पर किए व्यय पर 150 प्रतिशत की भारित कटौती मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव।

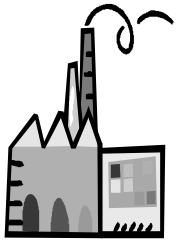

- 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत लाभों की कटौती का दावा करने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अंतिम तिथि को एक वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।
- अनिवार्य कर लेखा-परीक्षा लेखे और परिकल्पित कराधान के लिए टर्न-ओवर सीमा को ₹60 लाख से बढ़ाकर ₹ 1 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव है।
- आवासीय सम्पति की बिक्री से प्राप्त पूंजी लाभ पर छूट, बशर्ते उस पूंजी लाभ का उपयोग नए संयत्र और मशीनरी की खरीद के लिए विनिर्माता एसएमई के इक्विटी अंशदान के लिए किया गया हो।
- विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता विकास पर किए गए व्यय पर 150 प्रतिशत भारित कटौती का प्रस्ताव।

- नकद सुपुर्दगी लेन देनों पर प्रतिभूति लेन देन कर पर 20 प्रतिशत तक कमी का प्रस्ताव।
- लाभ से जुड़ी कटौतियों का दावा करने वाली सभी व्यक्तियों पर वैकल्पिक न्यूनतम कर की लेवी बढ़ाने का प्रस्ताव।
- आक्रामक कर परिवर्जन स्कीम का सामना करने के लिए सामान्य परिवर्जन रोधी नियम शुरू करने का प्रस्ताव।
- बेहिसाबी धन सृजन और उसके इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रस्तावित उपाय।
- प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप ₹4,500 करोड़ के निवल राजस्व घाटे का अनुमान।

अप्रत्यक्ष कर

सेवा कर

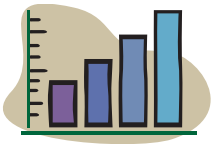

- सेवा कर अपनी क्षमता से कम हिस्से, कर कानून में जटिलताओं से जूझ रहा है और अंततः जीएसटी में इसके परिवर्तन के लिए इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून से जोड़े जाने की जरूरत है।
- नकारात्मक सूची पर आधारित सेवाओं पर कर लगाने की नई संकल्पना पर भारी प्रतिक्रिया।
- 17 शीर्षों वाली नकारात्मक सूची के अतिरिक्त सभी सेवाओं पर कर का प्रस्ताव।
- कुछ क्षेत्रों के लिए सेवा कर से छूट का प्रस्ताव।
- सेवा कर नियम को करीब 40 प्रतिशत तक छोटा किया जाएगा।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में सामंजस्य बैठाने के कई प्रयास किए गए हैं। दोनों ही के लिए एक सरलीकृत पंजीकरण फार्म और साझा विवरणी इस दिशा में उठाया गया एक कदम है।
- विवादों के निपटारे के लिए सेवा कर में संशोधित अनुप्रयोग प्राधिकरण और निपटान आयोग की शुरूआत।
- कर जमावड़े को कम करने के लिए कई सेवाओं में निविष्टि कर ऋण की उपयोगिता की अनुमति।

- पण्यधारकों की टिप्पणियों के लिए सेवा स्थान के निर्धारण हेतु आपूर्ति नियमावली का स्थान सार्वजनिक करना।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की साझी कर संहिता की संभावना की जांच हेतु अध्ययन दल।
- वापसियों के सरलीकरण के लिए नई स्कीम की घोषणा।
- कराधान के बिन्दुओं से संबंधित नियमावलियां युक्तिसंगत बनाई जा रही हैं।
- एक सुदृढ़ राजकोषीय स्थिति को बनाए रखने के लिए सेवा कर दर बढ़ाकर 10 से 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव जो वैयक्तिक सेवाओं हेतु दरों में तदनुरूपी परिवर्तनों सहित होंगी।
- सेवा कर के इन प्रस्तावों से ₹18,600 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति की संभावना।

अप्रत्यक्ष करों के लिए अन्य प्रस्ताव

- राजकोषीय सुधार के महत्व को मानते हुए उत्पाद शुल्क की मानक दर कुछ रियायतों के साथ बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत, मेरिट दर 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत और निम्न मेरिट दर 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की गई।

- बड़ी कारों हेतु उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाना प्रस्तावित।
- कृषि भिन्न वस्तुओं के लिए 10 प्रतिशत के सीमा शुल्क की शीर्ष दर में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं।
- विशिष्ट क्षेत्रों विशेषतया जो दबाव में है, के लिए निवेश राहत प्रोत्साहन प्रस्ताव।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

- कुछ कृषि उपस्करों और इनमें पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाया गया।
- दिनांक 31 मार्च, 2015 तक उर्वरक परियोजनाओं के विस्तार अथवा स्थापना हेतु उपस्करों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट।

अवसंरचना

- दिनांक 31 मार्च, 2014 तक स्टीम कोयले पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट और 1 प्रतिशत की रियायती सीवीडी का प्रस्ताव।
- विद्युत उत्पादन हेतु कुछ ईंधनों को बुनियादी शुल्क से पूर्ण छूट।

खनन

- कोयला खनन परियोजना आयात हेतु बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट।
- खनिजों के सर्वेक्षण और सम्भावना के लिए जरुरी मशीनरी और उपकरणों हेतु बुनियादी सीमा शुल्क कम करना प्रस्तावित।

रेलवे

- रेलवे सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली की संस्थापना और तीव्र गति की रेल गाड़ियों के लिए ट्रैक संरचना के उन्नयन में आवश्यक उपस्करों हेतु बुनियादी सीमा शुल्क घटाना प्रस्तावित।

सड़कें

- सड़क निर्माण के लिए जरूरी विशिष्ट उपस्कर की कतिपय श्रेणियों, सुरंग खोदने वाली मशीनों और उनकी पुर्जों को आयात शुल्क से पूरी छूट।

नागर विमानन

- तृतीय पक्षीय रखरखाव, मरम्मत और नागर हवाई जहाजों की ओवरहालिंग के लिए कर रियायतों का प्रस्ताव।

विनिर्माण

- इस्पात, वस्त्रोद्योग, ब्रांडेड तैयार परिधान, किफायती चिकित्सा उपकरण, जनउपभोग की वस्तुएं तैयार करने वाले श्रम प्रधान क्षेत्र और अर्ध-यांत्रिक इकाइयों द्वारा निर्मित दियासलाई जैसे क्षेत्रों को राहत देने प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य और पोषाहार

- उत्पाद शुल्क/सीवीडी से पूर्ण छूट के साथ-साथ 5 प्रतिशत का रियायती बुनियादी सीमा शुल्क का 6 विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों/वैक्सीन पर विस्तार पर प्रस्ताव।
- महिलाओं और बच्चों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए सोया उत्पादों पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क घटाया गया।
- आयोडीन पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क घटाया गया।
- प्रोबायोटिक्स पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाया गया।

पर्यावरण

- ऊर्जा बचत उपकरणों, सौर तापीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक सयंत्र और उपस्कर के लिए रियायतों और छूटों का प्रस्ताव।
- हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहन और ऐसे वाहनों के लिए बैटरी पैकों हेतु विनिर्माण के लिए कुछ मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क और विशेष सीवीडी से रियायत का विस्तार किया जा रहा है।
- सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं के आयात पर बुनियादी सीमाशुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना

- कुछ सिगरेट, हाथ से बनी बीड़ी, पान मसाला, गुटका, चबाने वाले तम्बाकू, अविनिर्मित तम्बाकू तथा जर्दा सुगन्धित तम्बाकू जैसे 'दोषपूर्ण' वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव।
- भारत में उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकर को संशोधित कर ₹ 4,500 प्रति मैट्रिक टन कर दिया गया है।
- बड़ी कारों/एमयूवी/एसयूवी की पूर्णतः निर्मित इकाइयों की कतिपय श्रेणियों हेतु बुनियादी सीमा शुल्क को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

यौक्तिकरण उपाय

- पैकेज युक्त सीमेंट, भले ही वह छोटे सीमेंट संयंत्रों अथवा अन्य में विनिर्मित हो, के लिए उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
- ब्रांड युक्त कीमती धात्विक आभूषण पर 1 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाना जिसे ब्रांड रहित आभूषण में भी शामिल किया जाएगा। कार्यकलापों को सरल किया गया है और लघु कारीगरों तथा स्वर्णकारों पर प्रभाव को कम करने हेतु उपाय किए गए हैं।
- ब्रांडेड चांदी के आभूषणों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- मिश्र दर के बजाय यथा मूल्य दर पर वाणिज्यिक वाहनों की बॉडी के निर्माण हेतु चैसिस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

- विदेश जाने वाले जलयानों के आयात को भूतलक्षी प्रभाव से 5 प्रतिशत की सीवीडी से मुक्त रखा जाएगा।
- पात्र यात्रियों और 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुल्क मुक्त भत्तों को बढ़ाया गया है।
- सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी प्रस्तावों से ₹ 27,280 करोड़ का निवल राजस्व लाभ होगा।
- अप्रत्यक्ष करों से ₹ 45,940 करोड़ का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।
- विभिन्न कराधान प्रस्तावों के कारण बजट में ₹ 41,440 करोड़ का निवल लाभ होगा।